संख्या- 4/2016/84/बयालिस-2016-59(बजट)/2014

प्रेषक,

प्रेम शंकर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 19 जनवरी, 2016**

विषय :- गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ में ट्रान्सफार्मर की स्थापना के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 326/नि0स्पो0का0पत्रा0/2014-15, दिनांक 03 जुलाई, 2015 एवं प्रधानाचार्य, गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ के पत्र संख्या- 1285/एस0सी0/निर्माण/2015, दिनांक 08 जनवरी, 2016 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ में ट्रान्सफार्मर की स्थापना के सम्बन्ध में आंकलित लागत रू0 40,30,443/- (चालीस लाख तीस हजार चार सौ तैंतालिस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष- 2015-16 में बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 लाख की धनराशि (रू0 दस लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 10.00 लाख की धनराशि (रू0 दस लाख मात्र) निदेशक, खेल द्वारा चेक/ड्राफ्ट से आहरित करके कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 पावर कारापोरेशन को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृत धनराशि परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

(2)- प्रायोजना अन्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3)- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(4)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो अत: इस

http://shasanadesh.up.nic.in

सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(6)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(7)- प्रायोजनान्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक- " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-75-गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ-7503-ट्रांसफार्मर की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राविधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रेम शंकर
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 4/2016/84(1)/बयालिस-2016 तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, लखनऊ।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
(6)- प्रधानाचार्य, गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग- 5
(9)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in